

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/50199/MRB/MORADABAD/722/CFO

दिनांक: 08-05-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स DE PAUL SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 1248-1 Rustham nagar Bilari, 0, Bilari तहसील - Bilari, प्लॉट एरिया 11210.00 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 4322.16 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
DE PAUL SCHOOL	3	0	10.35 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स DE PAUL SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 10-05-2022 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SINO ANTONY sinoputhen@gmail.com के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 10-05-2022 से 09-05-2025 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स DE PAUL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स DE PAUL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्नि शमन अधिकारी की फाइनल एनओसी हेतु संस्तुति निरीक्षण आख्या दिनांक 10.05.2022 के अनुसार प्रश्रुत शैक्षणिक भवन के अधिभोग / सरचना में बदलाव करने / भवन उपविधि मानको का अनुपान न करने एवं समय से नवीनीकरण न कराने तथा अग्नि शमन व्यवस्था की अकार्यशीलता की दशा में / प्रत्येक 6 माह में फायर ड्रिल न कराने / तथा स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की दशा में उक्त को स्वतः निरस्त माना जायेगा सत्ताप्राधिकारी के प्राविधानों का उल्लंघन करने / स्वामित्व अन्य विवाद की दशा में उक्त को स्वतः निरस्त माना जाये ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(MUKESH KUMAR)

[12940D2B2D747A34F32663F67D7C889B7FE3F55B]

10-05-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-05-2022
स्थान : MORADABAD